

राजस्थान आवासन मण्डल-भिवाडी



भिवाडी शहर की अरावली विहार योजना में व्यावसायिक भूखण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा भव्य नीलामी बोली

नीलामी बोली हेतु मुहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि दिनांक 25.01.2017 से 31.01.2017 अपरान्ह 02.00 बजे तक

नीलामी बोली में प्राप्त मुहरबन्द प्रस्तावों को खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 31.01.2017 अपरान्ह 03.00 बजे

अरावली विहार, भिवाडी

व्यावसायिक भूखण्ड

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	कॉर्नर/ सामान्य	क्षेत्रफल (व. मी.)	न्यूनतम बोली मूल्य (प्रति वर्ग मीटर)	अमानत राशि
1	CC-05, CC-06, (02)	कॉर्नर	27.00	130000.00	175500.00
2	CC-10, CC-12 (02)	सामान्य	18.00	130000.00	117000.00
3	CD-01, CD-27, CD-37 (03)	कॉर्नर	18.00	130000.00	117000.00
	CD-13, CD-14 (02)	कॉर्नर	18.00	117000.00	105300.00
4	CD, 28, CD-29, CD-30, CD-31 (SC), CD-32, CD-33, CD-34, CD-35, CD-36 (ST) (09)	सामान्य	18.00	115000.00	103500.00
5	CD-02, CD-03, CD-04, CD-05, CD-06, CD-07(SC), CD-08, CD-09, CD-10(ST), CD-11, CD-12, CD-15, CD-16, CD-17(SC), CD-18, CD-19, CD-20, CD-21, CD-22, CD-23, CD-24, CD-25 (22)	सामान्य	18.00	111500.00	100350.00

नोट :- बिडदाताओं द्वारा नीलामी बोली में बिड प्रस्तुत करने हेतु, बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बोली की शर्तों के विस्तृत विवरण, सम्बंधित कार्यालय से दिनांक 31.01.2017 को अपरान्ह 02.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अथवा मण्डल की वेबसाईट <http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

-: सम्पर्क सूत्र :-

परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ),
राजस्थान आवासन मण्डल,
खण्ड-भिवाडी

01493-230484, 09983993846

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल,
खण्ड-भिवाडी

01493-230484, 09983993868

(Handwritten signature)

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाडी

लिफाफे पर लिखा जाने वाला विवरण

1. भूखण्ड का विवरण :

अ. योजना का नाम सेक्टर

ब. आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/निमित्तआवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन संख्या .
..... (जो लागू ना हो उसे काट दें)

2. बिडदाता का नाम :

3. श्रेणी – सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति :

4. संलग्न अमानत राशि रूपये : डी.डी./बैंकर चैक संख्या
..... दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम
.....

5. मुहरबन्द बिड खोलने की निर्धारित तिथि :

बिडदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाडी


बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप

1. बिडदाता का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :
(अ.जा./ज.जा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
4. पता :
.....
..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
5. पेन नं. : (पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
6. मोबाईल नं. ईमेल आईडी
7. अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :
अ. योजना का नाम सेक्टर
- ब. आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/ निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन (जो लागू ना हो उसे काट दें)
संख्या माप के लिए न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि रूपये की डी.डी/बैंकर चैक संख्या दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम संलग्न है।


—: नीलामी की शर्तें :-


1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को राशि रु. 10 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 30 लाख रूपये जो भी कम हो अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10.00 करोड़ एवं अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी (यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन सम्बंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।


0-5


आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल भिवाडी

2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी (यदि सफल बोलीदाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं कराता है तो वह लिखित में समय बढ़ाने का अनुरोध मय निर्धारित राशि जमा कर एवं उक्त परिस्थिति में जमा कराने पर मण्डल नियमानुसार नियमन के आदेश दिए जा सकेंगे। तत्पश्चात् की राशि जमा की जा सकेंगी)।
4. बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/समय के पश्चात प्राप्त हुए मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. बिडदाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/राशि में अन्तर होने की स्थिति में, शब्दों में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
7. किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताए, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस सम्बंध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
8. आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन "जहाँ है जैसे है" के आधार पर निस्तारित किए जायेंगे।
9. आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अन्तिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जावेगी।
10. किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जो कि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के सम्बंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा।
11. आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान के लिए भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त रूप से देय होगी।
12. आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1042/379 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
13. बिड के सम्बंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय-समय पर किए गए संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।


0-5


आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

14. नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी मेरे द्वारा सम्बंधित कार्यालय/मण्डल की वैबासाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर ली गई हैं।
15. आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्ग मीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरीत यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एकमुश्त कीमत बिड में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से एकमुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्ग मीटर दर निकाली जायेगी।
16. खुली बोली न्यूनतम 100.00 रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
17. सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होंगे।

उद्धोषणा

मैं/हम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 बिडदाता आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन संख्या योजना का नाम
 सैक्टर घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी सम्बंधी नियम/विनियम/शर्तों एवं उनमें समय-समय पर किए गए संशोधन/संवर्धन को भली-भांति समझ लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर होने पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप, मुझे/हमें नीलामी स्वीकृति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी बोली मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस सम्बंध में, मैं/हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा/करूंगी/करेंगे।


हस्ताक्षर बोलीदाता

बिड प्रस्ताव

मैं/हम आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन संख्या ..
 योजना का नाम सैक्टर
 के लिए अपनी/हमारी बिड दर रुपये (अंकों में) (शब्दों में रुपये
) प्रति वर्ग मीटर/
 प्रति आवास/प्रति दुकान/प्रति भवन प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते हैं। (जो लागू न हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर बोलीदाता




 आवासीय भूखण्ड
 राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर